उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2- 854/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(21)-2017

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, राज्यपाल परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत न हो, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की, अंतःराज्यीय पूर्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं:

परंतु उक्त छूट वहां प्रयोज्य नहीं होगा, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी या समस्त अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार/पूर्तिकारों से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का समग्र मूल्य, एक दिन में पांच हजार रुपए से अधिक हो।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।